वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(सम्पदा प्रकोष्ठ)

क्रमांक : प–2 / वमखुवि / स.प्र. / 15 / 65 दिनांक : 23 / 01 / 2015

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में प्रचलित आवासीय भवन आवंटन नियम संख्या 22 (कार्मिक की मृत्यु होने पर) एवं नियम संख्या 23 (कार्मिक द्वारा इस्तीफा दिये जाने, सेवानिवृति व निलम्बन होने पर) एवं स्थानान्तरण होने पर नियमों में प्रावधान नही होने के कारण कार्मिकों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति व मृत्यु होने पर आवंटित आवास को रिक्त करने के सम्बंध में नियम संख्या 31 को वित्त समिति की 53 वीं बैठक की कार्यसूची के बिन्दु संख्या 53 / 7(4) एवं प्रबन्ध मण्डल की 90 वीं बैठक के बिन्दु सं0 4 दिनांक 20 / 01 / 2015 द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.17(2) / सा.प्र. / 2 / 2002 जयपुर दिनांक 30 / 9 / 2002 को अनुमोदित करते हुए निम्नानुसार संशोधित किये जाते है–

क्र.सं.	समय अवधि	किराये की लगने वाली दर	विशेष विवरण
1	2	3	4
(क)	स्थानान्तरण होने की स्थिति में		
1	स्थानान्तरण पर कार्यमुक्ति की दिनांक से एक माह तक	साधारण दर	-------
2	अगले एक माह तक (अर्थात दूसरा माह)	साधारण दर का दुगना	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर
3	तीसरे माह से छठे माह तक	साधारण दर का तिगुना	उपरोक्तानुसार
4	6 माह अवधि पूर्ण होने से अगले 6 माह तक	बाजार दर (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)	उपरोक्तानुसार
5	तदुपरान्त	बेदखली की कार्यवाही होगी	
(ख)	सेवा निवृति होने की स्थिति में		
1	सेवा निवृति दिनांक से 2 माह तक	साधारण दर	-------
2	2 माह उपरान्त अगले 2 माह तक	बाजार दर (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर
3	तदुपरान्त	बेदखली की कार्यवाही होगी	
(ग)	मृत्यु होने की स्थिति में		
1	मृत्यु की दिनांक से 2 माह तक (आश्रित को)	साधारण दर	-------
2	तीसरे माह से छठे माह तक	साधारण दर का तिगुना	माननीय कुलपति की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर
3	6 माह अवधि पूर्ण होने से अगले 6 माह तक	बाजार दर (सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित)	उपरोक्तानुसार
4	तदुपरान्त	बेदखली की कार्यवाही होगी	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है।

नोट :– कॉलम संख्या 3 में अंकित निर्धारित किराया दरें साधारण दर, दुगुनी, तिगुनी से तात्पर्य इस विभाग के आदेश संख्या एफ2/वीएमओयू/जीएडी/08/2000 दिनांक 21.10.2008 के अनुसार दरें होगीं तथा बाजार दर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित के अनुरूप होगी।

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है –

1. माननीय कुलपति महोदय, व.म.खु.वि., कोटा।
2. समस्त इकाई प्रभारी, व.म.खु.वि., कोटा को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को अवगत करावें।

उप कुलसचिव
सम्पदा प्रकोष्ठ